

स्पेशल वाद सख्या-84 / 2017

03.06.2026

अभियुक्त अनुपस्थित है। अभियोजन की ओर से साक्षी लाने हेतु समय की मांग की गयी।

अभिलेख देखने से प्रतीत होता है कि दिनांक 23.09.2021 को जमानत प्राप्त करने के समय अभियुक्त तथा सूचक में समझौता हो चुका है। सूचक की ओर से तथा अभियुक्तों की ओर से संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित समझौता आवेदन अभिलेख पर उपलब्ध है। इस वाद में दिनांक 04.03.2022 को अंतर्गत धारा 341, 323, 504, 506 भा0द0वि0 एवं धारा 3(1)(r), 3(2)(va) एस0सी0/एस0टी0 एक्ट में आरोप का गठन किया जा चुका है। तब से लेकर अभी तक सम्मन से लेकर जमानतीय वारंट भी निर्गत किया जा चुका है लेकिन अभियोजन की ओर से कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है। इसलिये आज अभियोजन की ओर से दाखिल समयावेदन को खारिज करते हुए अभियोजन का साक्ष्य बंद किया जाता है और अभिलेख पर कोई भी विश्वसनीय साक्ष्य नहीं रहने के कारण इस वाद के सभी अभियुक्तों को उनके विरुद्ध लगाये गये सभी आरोपों से दोषमुक्त करने का आदेश दिया जाता है। कार्यालय को यह निर्देश दिया जाता है कि यदि इस वाद में अभियुक्तों के विरुद्ध कोई भी वारंट, कूकी या उद्धघोषणा निर्गत की गई हो तो उसे वापस मंगाने हेतु पुलिस अधीक्षक को पत्र प्रेषित करें। वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश-प्रथम
-सह-विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0

